न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद सख्या– 89/2012

1. श्री मती मूमी देवी पत्नी स्व0 श्री देबी रावत
2. श्री नारायण पुत्र स्व0 श्री देबी रावत
3. श्री मिठू सिंह पुत्र स्व0 श्री देबी रावत
4. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री स्व0 श्री देबी रावत
5. श्री भैरू पुत्र स्व0 श्री इन्दा रावत
6. श्री भंवर पुत्र स्व0 श्री किशना रावत
7. श्री मती फेफी पत्नी श्री मोहन रावत
8. श्री नारायण पुत्र श्री मोहन रावत
9. श्री गोपाल पुत्र श्री मोहनी रावत
10. श्रीमती दाखू पत्नी श्री हामा रावत
11. श्री भोमसिंह पुत्र श्री हामा रावत

सभी जाति रावत एवं निवासीगण सेलोंता का बाडियां (मसुदा) ,तहसील मसूदा जिला–अजमेर ।

वादीगण

बनाम

1.श्री गोरधन सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र राजपूत
2.श्री रधुवीर सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र राजपूत
3 श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जी राजपूत

सभी जाति राजपूत एवं निवासीगण मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

4.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

1.श्री लक्ष्मण पुत्र श्री लादू रावत
2.श्री छोटू पत्र श्री लादू रावत
3.श्री भंवर पुत्र श्री किशना रावत

तीनों जाति रावत एवं निवासीगण बाडी घाटी –ब्यावर तहसील ब्यावर ,जिला अजमेर ।

प्रोफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

1श्री ओमप्रकाश कलवार
वकील वादी
2 श्री ज्ञानचन्द वकील
प्रतिवादी 1–3 उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

निर्णय

दिनांक 15.12.2016

वादीगण ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा द्वितीय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 159 के विवादित ख0 न0 2871 रक्बा 3–13–00 व 2872 रक्बा 2–10–00 किता 2 रक्बा 6–03–00 साबिक ख0 न0 1983 से बने हैं। साबिक न0 1983 से बने हाल न0 2869, 2894, 2871, 2872, 2873 एवं 2891 है। इनमें से ख0 न0 2869 एवं 2894 वादीगण के पूर्वर्जो के नाम जरिये नामान्तरण लगा दिये है वर्तमान में वादीगण के नाम है । साबिक ख0 न0 1983 सहित अन्य आराजियात साबिक न0 1958,1969,1970,1981,1982,1986,1987,1999,2005,2007,1975,2603,1962 व 1971 श्री बालूराम वल्द धनराज महाजन की खुदकाश्त की भूमियां थी जिन्हें वादीगण के पूवर्ज सर्व श्री लादु वल्द हाला ,देबी वल्द कज्जा ,इन्दा वल्द मोती , किशना वल्द बिरदा ,बादर वल्द लूम्बा, हामा वल्द धर्मा व जोरा वल्द धर्मा ने दिनांक 16–06–1964 को खरीद लिया था जिसके विक्रयपत्र में सहवन से ख0 न0 1983

अंकित नहीं किया जा सका था । लेकिन वादीगण एवं उनके पूवर्ज खरीद रोज से इससे बने ख0 न0 2871 व 2872 की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहें है। जिस बाबत् कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्व अभिलेख की नकलें लेने पर वादीगण को ज्ञात हुआ कि ये दोनों ख0 न0 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खाते लगे हुए है जबकि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। न ही प्रतिवादीगण इनमें खुदकाश्त से खातेदार रहे और ना ही बालू राम के कोई रिश्तेदार है। विवादित आराजी पर वादीगण खरीदरोज से काबिज चले आने से उनमें खातेदार हो गये है। तथा वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का एक ही अनुतोष है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीगण को दिनांक 10 –07 –2012 को बेदखल करने की धमकी दी है इसलिए वाद लाने की आवश्यकता हुई है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण को विवादित भूमियों में खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे साथ ही यह भी धोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादीगण के विवादित आराजी पर चले आ रहे कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने के अधिकार नहीं है। राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी वादीगण के नाम लगाई जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के विवादित आराजी वादीगण के नाम लगाई जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के विवादित आराजी पर चले आ रहे कब्जे काश्त में दखंलदाजी ,बाधा उत्पन्न करने आदि से निषेध किया जावे।

प्रतिवादी पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने वाद कथन नकारते हुए साराशतः कथन किये है कि वादीगण का विवादित आराजी ख0 न0 2871 व 2872 पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसके साबिक ख0 न0 1283 को वादीगण के पूवर्जों ने नहीं खरीदा था इसलिए 16–06–1964 के विक्रय पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे बालूराम को विक्रय करने के अधिकार नहीं थे। वादीगण ने विवादित आराजी पर उनके पूवर्जो के समय से कब्जा काश्त चले आने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को कभी कोई धमकी नहीं दी है। वादीगण और प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ने दुर्भी संधी कर यह वाद प्रस्तुत किया है। जवाब देहिन्दा विवादित आराजी में रेकार्डेड खातेदार है इसलिए वादीगण उनके विरूद्व निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र अवधि बाधित है तथा वर्तमान में भूमियों की कीमत बढने से बदनियति वश लाया गया है उत्तरदातागण द्वारा वादीगण के मोजुदा वाद से पूर्व एक वाद 73/2012 अजनाम गोर्धनसिंह बनाम गोमा से पेश किया हुआ है अतः मोजूदा वाद आदेश 2 नियम 2 जा0 दी0 के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है क्योकि वादीगण उत्तरदाता गण के वाद पत्र पर काउन्टर क्लेम पेश कर सकते थे। अतः वाद सव्यय निरस्त फार्माया जावे ।

प्रतिवाद पत्र प्राप्ति पर प्रकरण में निम्न विवाद बिन्दू कायम किये जाकर शहादत पक्षकरान तलब की गई –

तनकी 1 आया वादीगण मौजा मसूदा के साबिक ख0न0 1958, 1969, 1970, 1981, 1982, 1986, 1987, 1999, 2005, 2007, 1975, 2603, 1962, 1971, 1983 पूर्व खातेदार से दिनांक 16.06.64 को जरिये रजिस्ट्रार्ड बेचाननामा से क्रय करने व रजिस्ट्री में ख0 न01983 अंकन नहीं होने व लगातार कब्जा काश्त चले आने व बिना किसी आधार के साबिक ख0 न0 1983 के हाल ख0 न0 2871 रक्बा 3–13–0 ,2872 रक्बा 2–10–00 की भूमियां प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के नाम दर्ज होकर चली आने से इनका नाम रेकार्ड से हटवाकर खातेदारी धोषित करवाकर इन्द्राज करवाने के अधिकारी है? वादीगण

तनकी 2 आया वादीगण उपरोक्त स्थिति के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

वादीगण

तनकी 3 आया वादीगण बेचाननामा दिनांक 16.6.64 में साबिक न0 1983 बेचान दर्शित नही होने व कब्जे के आधार पर प्रतिवादी 1 से 3 के नाम चले आ रही इन्द्राज की रिकार्ड में दुरस्ती के अधिकारी है?

वादीगण

तनकी 4 आया प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने प्रतिवाद पत्र दर्शित कारणों के आधार पर वाद हर्जे खच के खारिज करवाने के अधिकारी है? प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

5 अनुतोष ?

वादीगण को प्रयाप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा किसी साक्ष्य के बयान नहीं कराने से हक शहादत वादी बंद किये गये प्रतिवादीगण ने शहादत प्रतिवादी कराने से इन्कार करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य पर ही न्यायनिर्णय निर्धारित करने का निवेदन किया । वाद पत्र बहस विव्दान अभिभाषकगण सुनी गई । वादी अभिभाषक ने जहां यह तर्क दिये कि साबिक ख0 न0 1983 भी उनके पूवर्जो ने अन्य भूमियों के साथ खरीद की थी लेकिन सहवन से यह खसरा न विक्रय पत्र में टाईप होने से छूट गया है। हमारे बुजुर्गों द्वारा खरीद करने के कारण ही साबिक न0 1283 से बने ख0 न0 2869 व 2894 का नामान्तरण उनके नाम दर्ज कर दिया गया और लेकिन हाल ख0 न0 2871 एवं 2872 को हमारे नाम नहीं लगाया गया है। जो लगाया जावें।

विर्तक में विव्दान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि साबिक ख0 न0 1983 विक्रेता बालूराम वल्द धनराज के खुदकाश्त से मालिकाना अधिकार में न होकर सामलात देह की भूमि थी जिसे बालूराम को विक्रय करने के अधिकार नहीं थे। साबिक ख0 न0 1983 के हाल न0 2869,2894,2871,2872,2873, व 2891 बने है। जिनमें से 2869 व 2894 वादीगण के पूवर्जो एवं 2871 व 2872 प्रतिवाद संख्या 1 से 3 को विधिक रूप से आंवटन कमेंटी द्वारा आंवटित किया गया है। अतः यह वाद जो कपोल कल्पित कथनों पर लाया गया है सव्यय निरस्त किया जावे। उभयपक्षान की बहस एवं वाद प्रतिवाद तथा दस्तावेजी साक्ष्यों की रोशनाई में ध्यानपूवर्क मनन करने पर प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार तय किया जाता है।

तनकी 1 इसको सिद्ध करने का भार वादीगण पर रहा है और उन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए ग्राम मसूदा तहसील ब्यावर जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2016 से 19 के खाता संख्या 273 की प्रमाणित प्रति पेश की है यह खाता बालू वल्द धनराज महाजन के नाम है जिसमें कुल खसरा किता 11 रक्बा 39–12–00 जिसमें ख0 न0 1983 बालू की खातेदारी में दर्ज नहीं है इसी प्रकार खाता संख्या 295 साबिक ख0 न0 1962 व 1971 किता 2 रक्बा 22–13–10 व खाता संख्या 580 कुल खसरा किता 14 रक्बा 42–15–00 बीघा में लादू सहखातेदार है लेकिन इनमें भी ख0 न0 1983 लादू की सहखातेदारी में दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के अभिभाषक के यह तर्क कि साबिक आराजी न0 1983 सामलात देह की रही है उसके नये बने ख0 न0 2871 व 2872 उन्हें विधिक रूप से आंवटन कमेटी द्वारा आंवटित किये गये है वादीगण द्वारा प्रस्तुत बालू वल्द धनराज द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1964 में भी साबिक न0 1983 विक्रय किया जाना अंकित नहीं है। वादीगण अपने दस्तावेजी साक्ष्य से वह तनकी अपने पक्ष में साबित करने से कासिर रहे हे अतः तनकी विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तय की जाती है।

तनकी 2,3 इन दोनों तनकियात को सिद्ध करने की भार भी वादीगण पर रहा है लेकिन तनकी संख्या 1 के विवेचन पर वादीगण साबिक आराजी न01983 को उनके बुजुर्गों द्वारा खरीद करना सिद्ध नहीं कर पाये है इसलिए वादीगण इन दोनों तनकियात पर किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाये जाते है। ये तनकियात विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

तनकी 4 इसका भार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पर रहा है और उन्होंनें अपने प्रतिवादी पत्र में विवादित आराजी ख0 न0 2871 व 2872 जो साबिक न0 1983 से बने है को वादीगण के बुजुर्गों द्वारा नहीं करने के कथन किये है साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र 73/2012 अजनाम गोर्धन सिंह बनाम गोमा से पूर्ववती वाद के विचाराधीन चलते यह वाद आदेश 2 नियम 2 जा0 दी0 के तहत चलने योग्य नहीं है ये कारण प्रकरण पर सही बैठते है इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नही पाया जाता । तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तय की जाती है।

अनुतोष?

प्रकरण में कायम तनकियात विरूद्व वादीगण तय पाई गई है ऐसी स्थिति में वादीगण अपने वाद पत्र पर किसी अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाये जाते है अतः

आदेश

वाद वादीगण द्वारा ग्राम मसूदा द्वितीय स्थित ख0 न0 2871 व 2872 में खातेदार काश्तकार होने की धोषणा के लिए लाया गया वाद सव्यय निरस्त किया जाता है वाद खर्च पक्षकरान अपना अपना वहन करें । यथानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.06 15:45:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: